



शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य-07.07.2024

“थाना रोजा पुलिस द्वारा धारा 307 के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार ”

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री वीएसवीर कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना रोजा श्री राजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक की पुलिस टीम के प्रयास से पैतापुर रोड से मु0अ0स0 351/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त राजकुमार शर्मा उर्फ राजू पंजाबी पुत्र सतीश कुमार शर्मा निवासी मो0 आर्दश नगर कालोनी गली नं0 21 रौजा थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14/06/2024 को वादी इन्द्रविक्रम सिंह पुत्र कल्याण निवासी ग्राम रामापुर बरकतपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर घर पर जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 351/2024 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत कराया था। घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना रोजा टीम प्रभार निरीक्षक राजीव कुमार के प्रयास से आज दिनांक 07/07/2024 को समय करीब 01.20 बजे पैतापुर रोड से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजकुमार शर्मा उर्फ राजू पंजाबी पुत्र सतीश कुमार शर्मा निवासी मो0 आर्दश नगर कालोनी गली नं0 21 रौजा को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी से जनता में हर्ष की लहर है, जनता में पुलिस के कार्य की सराहना की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. राजकुमार शर्मा उर्फ राजू पंजाबी पुत्र सतीश कुमार शर्मा निवासी मो0 आर्दश नगर कालोनी गली नं0 21 रौजा थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0स0 351/2024 धारा 307/504/506 भादवि थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी :-

1. एक अवैध अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार
2. अपराध निरीक्षक गंगा सिंह
3. का0 843 राजन कुमार
4. का0 2292 विकाश कुमार